ग्राम पंचायत जौणाजी, विकास खण्ड सोलन, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश के अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 4/2013 से 3/2016
भाग–एक

1 प्रस्तावनाः–

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप–सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH HC (5)-(15) LAD/20096-12669 दिनांक 7.4.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हिमाचल प्रदेश) को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत जौणाजी, विकास खण्ड सोलन, जिला सोलन के अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत्त थे।

प्रधानः–

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्रीमती बनिता	1.4.2013 से 31.3.2016

सचिवः–

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्री सुरेन्द्र शर्मा	1.4.2013 से 31.3.2016

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः–

ग्राम पंचायत जौणाजी, जिला सोलन के अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	पैरा सं0	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	6	वित्तीय नियमों की अवहेलना	–
2	6.3	खाता "ख" के ब्याज को खाता "क" में अन्तरित न किया जाना	0.10
3	9	अनुदान राशियों का अवरोधन	9.89
4	10	औपचारिकताओं को पूण किए बिना स्टॉक/स्टोर क्रय करना	11.90

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

ग्राम पंचायत जौणाजी, विकास खण्ड सोलन, जिला सोलन के अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री केवल सिंह, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 1.2.2017 से 8.2.2017 तक ग्राम पंचायत जौणाजी के कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु आय एवं व्यय के लिए क्रमशः माह 03/2014, 3/2015, 3/2016 व

3/2014, 3/2015,10/2015 का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्कः–

ग्राम पंचायत जौणाजी, विकास खण्ड सोलन, जिला सोलन के अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखाओं के अंकेक्षण शुल्क हेतु शुल्क ₹6000 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम सें निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश श्मिाला–171009 की शीघ्रातिशीघ्र प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या–35 दिनांक 8.2.2016 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत जौणाजी से अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थितिः–

ग्राम पंचायत जौणाजी द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थीः–

4.1 स्वः स्त्रोतः–

ग्राम पंचायत जौणाजी के अवधि 4/2013 से 3/2016 तक स्वः स्त्रोतों (खाता "क") की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण उपलब्ध करवाए गए **परिशिष्ट–1** अनुसार निम्न प्रकार से हैः–

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013–14	59037	21305	80342	46400	33942
2014–15	33942	96658	130600	21919	108681
2015–16	108681	114998	223679	24678	129001

4.2 अनुदानः–

ग्राम पंचायत जौणाजी के अवधि 4/2013 से 3/2016 तक के अनुदानों की वित्तीय स्थिति (खाता "ख") का संकलित विवरण उपलब्ध करवाए गए **परिशिष्ट–1 व 2** अनुसार निम्न प्रकार से है।

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013–14	244233	4311333	4555566	4037067	518499
2014–15	518499	5495134	6013633	5536668	476965
2015–16	476965	3301042	3778007	2789276	988731
	रोकड़ बही के अनुसार दिनांक 31.3.2016 को शेष				1117732

(₹988731+₹129001)

बैंक पास बुक के अनुसार दिनांक 31.3.2016 को शेष	1117732
अन्तर	शून्य

5 रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान न करना तथा बैंक समाधान विवरणी तैयार न करनाः–

(क) रोकड़ बही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (3) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य था। इस प्रकार पंचायतों द्वारा रोकड़ बहियों का बैंक खातों से मिलान न करना नियमों के विरूद्ध होने के कारण अनियमित है। अतः इस अनियमितता बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड़ बहियों का बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ख) ग्राम पंचायत जौणाजी (सोलन) द्वारा अंकेक्षण अवधि 4/2013 से 3/2016 के दौरान बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की गई थी और न ही अंकेक्षण में प्रस्तुत की गई। अतः उक्त अवधि के बैंक समाधान विवरणी तैयार करके इसे आगामी अंकेक्षण में दिखाया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा इस सन्दर्भ में की गई कार्यवाही की अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

6 वित्तीय नियमों की अनुपालना न करनाः–

6.1 रोकड़ बही का लेखांकन नियमानुसार न करनाः–

ग्राम पंचायत जौणाजी की रोकड़ बही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (1 से 3) की रोकड़ बही के लेखांकन में पूर्ण अवहेलना की जा रही है। ग्राम पंचायत जौणाजी के लेखों की जाँच में रोकड़ बही के सन्दर्भ में नियम विरूद्ध की जा रही निम्न विसंगतियाँ पाई गई है।

(क) पंचायत द्वारा पंचायत निधि एवं अनुदान, मध्य हिमालय, जलागम परियोजना, मनरेगा तथा आई0 डब्लयूएमपी0 के लिए अलग–2 रोकड़ बहियों का निर्माण किया गया है। अतः नियमों के विरूद्ध एक के स्थान पर निर्मित इन चार रोकड़ बहियों बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए इन अतिरिक्त रोकड़ बहियों को बन्द करते हुए इस बारे नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

(ख) लेखांकन के सामान्य तथा प्रचलित नियमों के अनुसार रोकड़ बही प्रतिदिन हुए लेन–देन की प्रविष्टियों उपरान्त बन्द करते हुए अन्तशेष निकालना आवश्यक है तथा मासान्त व वर्षान्त में

उपलब्ध हस्तगत शेष तथा बैंक शेष का विवरण हिमाचल प्रदेश पंचायती राज वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (2 व 3) के अनुसार भी पंचायत प्रधान द्वारा सत्यापित किया जाना अपेक्षित है। परन्तु ग्राम पंचायत जौणाजी में रोकड़ बहियों के रख–रखाव में इन नियमों की अनुपालना नहीं की गई है। अतः नियमों के विरूद्ध अपनाई गई इस कार्यविधि बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए इस बारे नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

6.2 नियमों के विरूद्ध सात बैंक बचत खातों का खोला जानाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4 (1) के अनुसार पंचायत में केवल दो बैंक बचत खाते खोले जाने का प्रावधान है जिसमें से खाता "क" में पंचायत के स्वयं संसाधनों से प्राप्त आय तथा खाता "ख" में प्राप्त समस्त अनुदानों को जमा करवाए जाने का प्रावधान है। परन्तु ग्राम पंचायत जौणाजी में दो के स्थान पर **(परिशिष्ट 03)** में वर्णित सात बचत खाते खोले गये है। अतः नियमों के विरूद्ध खोले गये इन बैंक खातों बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए इन पांच अतिरिक्त खातों को बन्द करते हुए इस बारे नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए तथा की गई कार्यवाही की अनुपालना से आगामी अंकेक्षण में दिखाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

6.3 खाता "ख" के ₹0.10 लाख के ब्याज को खाता "क" में अन्तरित न किया जानाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4 (1) के अनुसार प्रतिवर्ष माह जनवरी तथा जुलाई में पंचायत द्वारा खाता "ख" में अर्जित ब्याज को पंचायत निधि के स्वयं संसाधनों के खाता "क" में अन्तरित किया जाना अपेंक्षित है। परन्तु ग्राम पंचायत जौणाजी के बैंक खातों की जाँच उपरान्त पाया गया कि इस नियम की अनुपालना नहीं की जा रही है। निम्न तालिका के अनुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान ₹10029/– खाता "ख" से सम्बन्धित बचत खातों में ब्याज के रूप में अर्जित किए गए थे जिन्हें उपरोक्त नियम की अनुपालना में खाता "क" में अन्तरित किया जाना था परन्तु नहीं किया गया है। अतः इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए अब तक खाता "ख" के समस्त बैंक खातों में अर्जित ब्याज को तुरन्त खाता "क" में अन्तरित करते हुए भविष्य में नियमानुसार समय पर कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

खाता सं0	माह/वर्ष						कुल ब्याज
	6/13	12/13	6/14	12/14	6/15	12/15	
33619152958	—	—	897	895	376	28	2196
11521992489	682	1545	1229	1839	1371	1167	7833
कुल योग	**682**	**1545**	**2126**	**2734**	**1747**	**1195**	**10029**

6.4 वर्गीकृत सार को तैयार न करनाः—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 (4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को प्रारूप 8 में वर्गीकृत सार को तैयार करते हुए एक आय व एक व्यय के लिए दो भागों में बनाया जाएगा जिसमें प्रत्येक मद के लिए एक अलग पन्ने पर प्रत्येक आय तथा व्यय के लेन देन के लिए अलग—अलग प्रविष्टि की जाएगी। प्रत्येक माह के अन्त में मासिक तथा प्रगतिशील योग के लिए प्रविष्टि की जाएगी। इस वर्गीकृत सार को बनाये जाने का उद्देश्य आय तथा व्यय को बजट के अनुसार नियन्त्रित रखा जाना है। इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए नियमानुसार वर्गीकृत सार का तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

7 निवेशः—

ग्राम पंचायत जौणाजी द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान सावधि जमा (Fixed deposit) में निवेश नहीं किया गया था।

8 बजट प्राक्कलन नियमानुसार तैयार न करनाः—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा प्रारूप—11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन उपरोक्त वर्णित नियम के अनुसार तैयार नहीं किया गया था। अतः बजट प्राक्कलनों को नियमानुसार तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

9 अनुदान के ₹9.89 लाख अनुपयुक्तः—

पंचायत द्वारा **परिशिष्ट—1 व 2** पर अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.3.2016 तक अनुदान से प्राप्त राशियों में से ₹988731/— उपयोग हेतु शेष थी। यदि इन्हीं परिशिष्टों में उपलब्ध आंकड़ों का विशलेषण किया जाए तो यह स्वतः स्पष्ट हो

जाता है कि अवरोधित अनुदान राशियों की मात्रा प्रतिवर्ष बढ़ती ही जा रही है। जहाँ 31.3.2014 को यह ₹518499 थी वहीं 31.3.2016 तक यह बढ़कर ₹988731 हो गई है। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था, जबकि पंचायत द्वारा अनुदान राशि को वहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ–साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा है। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

10 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹11.90 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखं, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4) व 67 (5) द्वारा स्टोर/स्टॉक का क्रय करने की औपचारिकताऐं प्रावधित है। चयनित मास के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण प्रावधित है। चयनित मास के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट "4"** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार पंचायत द्वारा ₹11.90 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय निविदा सम्बन्धित औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों के स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की विशेष स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ लिया जा सके।

11 डाक व्यय का लेखांकन न करने बारेः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 8 (डी) में पंचायत का डाक व्यय को पंचायत निधि के खाता "क" में से किये जाने का प्रावधान है परन्तु ग्राम पंचायत जौणाजी के डाक प्रेषण की नमूना जाँच में पाया गया कि पंचायत द्वारा डाक व्यय तो किया जाता है परन्तु व्यय सम्बन्धी प्रविष्टियाँ रोकड़ बही में नहीं की गई है। अतः इस बारे वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही करना तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

12 एक समय में एक से अधिक रसीद बुकों का अनुचित प्रयोगः–

लेखांकन के सामान्य नियमों तथा सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशा निदेर्शो के अनुसार एक पंचायत में एक समय में एक ही रसीद बुक को प्रयोग में लाया जाना अपेक्षित है। परन्तु ग्राम पंचायत जौणाजी के लेखाओं की नमूना जाँच में पाया गया कि निम्नविवरणानुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान एक समय में एक से अधिक रसीद बुकों का प्रयोग किया गया है।

क्रम0सं0	रसीद बुक	खाली रसीदें	खाली रसीदों की सं0
1	288201–218300	218295–218300	06
2	218801–218900	218867–218900	74

अतः नियमों के विरूद्ध अपनाई गई इस कार्यविधि बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए प्रथमतयः इन खाली रसीदों का प्रयोग किया जाए तथा तदोपरान्त इस बारे नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

13 विहित रजिस्टरों का रख–रखाव न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख–रखाव नहीं किया गया था जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए। रजिस्टरों का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

1 स्टॉक रजिस्टर

2 चल व अचल सम्पत्ति रजिस्टर

3 जल प्रभार रजिस्टर

4 भवनों व दुकानों के किराये से सम्बन्धित रजिस्टर

5 अन्य स्त्रोतो से प्राप्त आय का रजिस्टर

6 अनुदान प्राप्ति से सम्बन्धित रजिस्टर

7 आय रसीदों का स्टॉक रजिस्टर

8 गृहकर वसूली रजिस्टर

9 डाक टिकट रजिस्टर

10 निर्माण कार्यों का रजिस्टर इत्यादि

14 प्रत्यक्ष सत्यापनः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार को प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार न तो स्थाई व अस्थाई भण्डार का पुस्तकों में इन्द्राज किया गया है और न ही सत्यापन किया गया है। जिस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

15 विविध अनियमितताऐंः–

15.1 ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों का निष्पादन करने हेतु हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93 (ए) (1) के अनतर्गत प्रतिभागी समिति बनाये जाने का प्रावधान है जिसकी अनुपालना ग्राम पंचायत जौणाजी द्वारा नहीं की जा रही है। अतः परामर्श दिया जाता है कि अब इस समिति का शीघ्र गठन करके अंकेक्षण को कृत कार्यवाही से अवगत करवाया जाए।

15.2 पंचायत द्वारा पंचायत सदस्यों को भुगतान प्रत्येक बैठक में भाग लेने हेतु हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 62 (1) के अन्तर्गत सिंटिंग फीस मिलती है। ग्राम पंचायत जौणाजी के इस फीस के भुगतान के बिलों की जाँच में पाया गया कि यह भुगतान पंचायत सदस्यों की बैठक में भाग लेने सम्बन्धी अभिलेख अथवा हाजिरी रजिस्टर विवरण के बिना ही तैयार कर दिया गया है। अतः इस नियम विरूद्ध की गई कार्यवाही के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य में हेतु इसमें सुधार लाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

16 **लघु आपत्ति विवरणिकाः–** लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा करके विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई है।

17 **निष्कर्षः–** लेखों के रख रखाव में हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के अधिकतर नियमों की अनुपालना बिल्कुल भी नहीं की जा रही है। यह बात पंचायती राज विभाग के उच्च अधिकारीगण के ध्यानार्थ विशेष रूप से लाई जाती है तथा यह सुझाव दिया जाता है कि इस सन्दर्भ में सम्बन्धित कर्मचारियों को लेखाओं के रख–रखाव नियमानुसार करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए जाएं।

हस्ता/–
(सतपाल सिंह)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0)एच(पंच)15(iv) 12/2017–खण्ड–1–1927–1930 दिनाँकः 31.03.2017
शिमला–171009,
प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत
1 सचिव, ग्राम पंचायत जौणाजी विकास खण्ड सोलन, जिला सोलन, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
3 जिला पंचायत अधिकारी, सोलन, जिला सोलन, हि0प्र0
4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड सोलन, जिला सोलन, हि0प्र0

हस्ता/–
(सतपाल सिंह)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.